28.8.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में कार्यव्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। प्रकरण में बहस सुने हुए एक माह से अधिक होने से पुनः मजिद बहस सुनी गई बाद वादी का अ. धा. 88-183 RTA का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली मे अब कोई और कार्यवाही शेष नही होने से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 45/2006

श्री मन्दिर मूर्ती ठाकूर जी श्री चारभूजा जी सार्वजनिक मन्दिर ग्राम हरिपुरा तह0 बेगूँ जरिये वाद प्रतिनिधि:–

1. देवीलाल पिता परथू जी जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
2. सूरजमल पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
   (पूर्व में नाम डिलिट)
3. उदयराम पिता प्यारा जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
4. देवीलाल पिता लालू जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
   (पूर्व में नाम डिलिट) वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता प्यारचन्द जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय:–
   1/1– भोलीबाई पति स्व. मांगीलाल जाति धाकड नि0 हरिपुरा तह0 बेगूँ (पत्नी)
   1/2– बालकिशन पिता स्व. मांगीलाल जाति धाकड नि0 हरिपुरा तह0 बेगूँ(पुत्र)
2. मोहनलाल पिता प्यारचंद जी जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहज0 बेगूँ
3. देवीलाल पिता मोतीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय :–
   3/1– उँकार पिता स्व. देवीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   3/2– राधेश्याम पिता स्व. देवीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   3/3– प्रेम पुत्री स्व. देवीलाल धाकड पत्नी शंभूलाल धाकड नि0 मेघपुरा तह0 बेगूँ
   3/4– सीता पुत्री स्व.देवीलाल धाकड पत्नी राधेश्याम धाकड निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूँ
   3/5– जेती पत्नी स्व. देवीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
4. मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय :–
   4/1– सागर पिता स्व. मांगीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/2– गोपाल पिता स्व. मांगीलाल धाकउ निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/3– रामचन्द्र पिता स्व. मांगीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/4– सुगना पुत्री स्व. मांगीलाल धाकड पत्नी शांतिलाल धाकड निवासी नाल तह0 बेगूँ
   4/5– मन्जु पुत्री स्व. मांगीलाल धाकड पत्नी नानालाल धाकड निवासी कदवास तह0 सिंगोली जिला नीमच म.प्र.
   5/1– नानालाल पिता नन्दा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   5/2– कुकालाल पिता नन्दा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
6– रामचन्द्र पिता पन्नालाल ब्राम्हण निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ (फोत पहले से नाम डिलिट)
7– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
8– भूरालाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सुरेशचन्द्र टेलर
अधिवक्ता वादीगण
श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम हरिपुरा तहसील बेगूँ में ठाकुर जी श्री चारभुजा जी का मंदिर स्थित है जिसकी सेवा चाकरी एवं पूजा अर्चना के खर्चे के लिए ठिकाना बेगूँ से मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी के नाम भूमि माफी में दी गई थी व पुजारी पन्नालाल को नियुक्त किया था जिससे बहैसियत पुजारी माफी की जमीन में अंकित हो गया था और खाता ठाकुर श्री चारभुजा जी के नाम दर्ज है। चूँकि पूजारी पन्नालाल काफी समय पहले फोत हो गया व मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी की सेवा चाकरी पूजा भी नहीं करता था। पन्नालाल के स्वर्गवास के बाद उसके लडके रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 12 का नाम विरासत से दर्ज हो गया जबकि पन्नालाल के स्वर्गवास के बाद रामचन्द्र प्रतिवादी ने कभी ठाकुर जी श्री चारभुजा जी की पूजा अर्चना नहीं की और गांव वालो ने ही मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी की पूजा अर्चना खर्च वहन किया है इसके लिए गांव वालो ने ठाकुर जी श्री चारभुजा जी की सेवा चाकरी एवं पूजा के प्रबन्ध के लिए कए कमेटी बनाई जिससे वादीगण को नियुक्त किया व 25–30 वर्षो से कमेटी ही पूजा इत्यादि का प्रबन्ध करती आ रही है और मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी देखभाल रखती है।

चूँकि मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी गांव हरिपुरा के सभी ग्राम वासियान का सार्वजनिक मंदिर है एवं प्रत्येक ग्रामवासी को पक्षकार बनाया जाना संभव नहीं होन से तथा कई वर्षो से वादीगण ही प्रबन्ध समिति के रूप में मंदिर की व्यवस्था कर रहे है इसलिए वादीगण का यह वाद बतौर प्रतिनिधी ग्रामवासियान हरिपुरा के प्रस्तुत कर रहे है।

यह कि मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी की सेवा चाकरी एवं पूजा आदि के खर्च के लिए ठिकाना बेगूँ से ग्राम हरिपुरा की आराजी नम्बर 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि जिसकेपुराने नम्बर 99 है जिसमें माफी पूजनार्थ दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 11 नन्दा के नाम अंकित है और खातेदारी में है जिसमें ठाकुर जी श्री चारभुजा का नाम नहीं है। जबकि प्रतिवादी सं0 11 कभी ठाकुर जी की पूजा वगैरह नही करता था और न ही करता हैं। ठाकुर जी श्री चारभुजा जी की भूमि जो कि

पूजनार्थ है जिसको किसी भी व्यक्ति को अपने खाते करवाने का अधिकार नहीं है फिर भी बिना किसी कारण के होते हुए गलत इन्द्राज करवा लिया जो गलत हैं। चूँकि प्रतिवादी सं0 11 न तो भोग देता है और न ही पूजा करता है। ठाकुर जी श्री चारभुजा जी की भूमि हडपने के लिए सेटलमेन्ट वालो से मिलकर ठाकुर जी श्री चारभुजा जी का नाम हटवा कर स्वयं अपने नाम दर्ज करवा ली जिसको प्रतिवादी नन्दा को अपने नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं था।

यह कि आराजी नम्बर 243 भूमि आराजी चाह नं0 244 से पीवल होती है आराजी नम्बर 244 का पुराना नम्बर 97 है ओर मौजूदा खाता संख्या 99 में हिस्सेदार 2/7 के अनुसार माफी मंदिर साकिन देह अंकित हैं। परन्तु पुजारी रामचन्द्र का नाम अंकित हैं और सहखातदेार सं0 1 से 10 तक है जब प्रतिवादी ससं0 12 मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी की पूजा अर्चना नहीं करता है तो बहैसियत पुजारी अंकन नहीं किया जाना चाहिए था। परन्तु सेटलमेन्ट वालो ने गलती से पुजारी प्रतिवादी सं0 12 का नाम अंकित कर दिया जो गलत है और न ही प्रतिवादी सं0 12 अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

यह कि मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी मूर्ती के रूप में है जो बोल नहीं सकते है एवं नाबालिग की श्रेणी में आते है जिससे वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार मौखिक रूप से कहा मगर प्रतिवादीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती नही करवाई व गांव वालो ने भी काफी समझाया परन्तु कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिससे वादीगण ने दिनांक 15.03.2006 को सामुहिक रूप से उक्त दोनेा खातो में इन्द्राज दुरूस्ती करवा मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी के नाम अंकन करवाने बाबत कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही इन्द्राज दुरूस्ती ही करवाई। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं है और न ही अपने खाते रखने के अधिकारी है यदि प्रतिवादी सं0 11 ने उक्त भूमि विक्रय कर दी तो मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी को भारी नुकसान होगा और व्यर्थ की मुकद्मेबाजी बढेगी व प्रतिवादी सं0 11 उक्त भूमि को विकय्र करने पर आमादा है। जिससे यदि इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करवाई गई तो भारी नुकसान होगा जिससे खिलाफ प्रतिवादीण्गा इन्द्राज दुरूस्ती का घोषणात्मक वाद लाना आवश्यक होने से खिलाफ प्रतिवादीगण वाद पत्र प्रस्तुत है।

यह कि बिना मुखास्मत प्रतवादीगण को बार बार इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कहा और अन्त में 15.03.2006 को कहा तब व उसके बाद हर रोज पैदा हो रही है। यह कि श्री तहसीलदार साहब भूमि होने व देवस्थान की भूमियों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित है जिससे उनको भी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है कि बहक वादीण्गा खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न डिक्री सादिर फरमाई जावे :–

(क) कि ग्राम हरिपुरा तहसील बेगूँ की आराजी नं0 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं0 11 के नाम कमी कर रकबा मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी स्थान हरिपुरा के नाम अंकित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावें।

(ख) कि ग्राम हरिपुरा तहसील बेगूँ की आ0चा0 नं0 244 जो कि कुआ है जिससे आराजी नं0 243 पीवल होती है जो सामलाती खाते मे ठाकुर जी श्री चारभुजा जी व अन्य प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसमें पुजारी प्रतिवादी सं0 12 का नाम अंकित है जिसको जरिये घोषणात्मक डिक्री से हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(ग) कि मौजा हरिपुरा की आराजी नं0 243 से प्रतवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादीगण प्रबन्ध समिति मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी के सिपुर्द किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीण्गा के विरूद्ध प्रदान की जावें।

(घ) कि खर्चा मुकद्मा व महनताना वकील दिलाया जावें

(प) कि और भी अन्य कोई दाद बहक मुफिद वादीगण व मंदिर ठाकुर श्री चारभुजा जी बरामद हो दिलाई जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1,2, 8, 9, एवं 11 की ओर से अधिवकता श्री सत्यनारायण ईनाणी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने मिथ्या तथ्य अंकित किये है। मंदिर ठाकुर जी की अर्चना पूजा के खर्चे पेटे ठकाना बेगूँ द्वारा मंदिर के नाम भूमि देने की बाद पूर्णतया गलत है। माफी का अर्थ यह होता है कि लगान माफ होता है। ठीकाने द्वारा पन्नालाल अथवा किसी को पुजारी नियुक्त करने की बात भी पूर्णतया गलत है। पुजारी माफी के ऐवज में कृषक से लगान लेता है क्यो कि जागीरदार अथवा राज्य लगान नहीं लेकर माफीदार को दिलाता है। पुजारी का नाम माफीदार के रूप में अंकित होने की हमें कोई जानकारी नहीं है। और पुजारी कौन है और व सेवापुजा करता है अथवा नहीं। इसकी हमे कोई जानकारी नहीं है। ठाकुर जी के नाम दर्ज होन का प्रश्न ही नहीं है। ठाकुर जी सिर्फ माफीदार (भूमीधारी)याने मालिक हांसिल के रूप में दर्ज है। उनके नाम खडम अथवा खाता दर्ज होने का प्रश्न ही नहीं है। वादीगण को गांव वालो ने प्रतिनिधी नियुक्त नहीं किया सिर्फ चंद व्यक्तियों ने

मिलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कोई प्रवंध कमेटी वनाने की वात वता कर वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि यदि कोई प्रवंध कमेटी अथवा न्यास का गठन होता है तो उसका सार्वजनिक पब्लिक ट्रस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस प्रकार वादीगण वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है।

वादपत्र की चरण सं0 2 का उत्तर यह है कि ठीकाना वेगूँ द्वारा ग्राम हरिपुरा की आराजी नं0 243 जिसके साविक नं0 99 है वह ठाकुर जी की पूजा आदि के खर्चे के लिए देने की वात पूर्णतया गलत है। अपितु वास्तविकता यह है कि इस आराजी का लगान मात्र माफी में दिया गया जिससे माफी पूजनार्थ दर्ज है, किन्तु हमारी होने से हमारे नाम दर्ज ? ठाकुर जी सिर्फ लगान लेने के अधिकारी थे और माफी रिज्यूम होने के पश्चात सन 63 से लगान राज्य सरकार लेने लगी एवं माफीदार याने ठाकुरजी को राज्य सरकार की जरिये एनयूटी मिलने लगी। भूमि प्रतिवादी नन्दा जी के नाम सही रूप से खातेदारी में अंकित है जो कि स्वर्गीय लखमाजी के पुत्र है जो कि मूल खातेदार थे। संवत 2009 से 12 की आधार जमावंदी में लखमा मोती पिता वरदा धाकड खडमदार के रूप में दर्ज है और आपसी विभाजन से यह आराजी लखमा जी के हिस्से में रही जिससे वर्तमान में उनके पुत्र नंदा के नाम पर दर्ज है। इस आराजी को ठाकुरजी के नाम अंकित करने का प्रश्न ही नहीं है क्यो कि ठाकुर जी मात्र माफीदार थे और माफी रिजयुन होने के वाद गॉववालो द्वारा परविार की पूजा अर्चना का खर्चा वहन करने की वात पूर्णतया गलत है। वादीगण द्वारा25–30 वर्षो से मंदिर की देखभाल व सेवापूजा करने की वात पूर्णतया गलत है।आराजी मंदिर की माफी में थी और खातेदार श्री नंदा पिता लखमा मोती पिता वरदा धाकड थे जो लगान पुजारी को देते थे और माफी समाप्त होने के पश्चात लगान राज्य सरकार लेने लगी और मंदिर के नाम राज्य द्वारा एन यू टी निर्वाह व्यय तय कर दिया गया। इस प्रकार आराजी का मंदिर से कोई सम्वन्ध नहीं है। श्री चारभुजा जी सार्वजनिक मंदिर ग्रामवासीयान का होने की हमे कोई जानकारी नहीं । मंदिर की ग्राम वासीयान कोई व्ययसायी आदि करते तो यह धार्मिक स्थल होने से राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के अन्तर्गत इसका पंजीयन होना चाहिए अन्य ग्रामवासियान की ओर से प्रतिनिधी वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है, और न ही वादीगण ने इस हेतु न्यायालय से स्वीकृति हेतु कोई आवेदन ही किया है। भूमि की खडम हमारी थी हमारे खाते मे सही अंकन हुआ है। इन्द्राज होने का प्रश्न ही नहीं है, हम खातेदार होकर राज्य सरकार को लगान अदा करते है। ठाकुरजी का नाम सिर्फ माफीदार के रूप में अंकित था जो माफीया समाप्त होने से हट गया और हमारे खडमदार होने से हम बहैसियत खातदोर दर्ज हुए और माफीदार ठाकुर जी स्थान पर राज्य सरकार हो गयी हैं।

यह कि चरण सं0 3 का उत्तर है कि आराजी नं0 243, आ0नं0 244 से पीवल होती है इसका पुराना आराजी नं0 99 हमारे खातेदारी की है माफी मदिर समाप्त हो चुकी है जिससे माफीदार ठाकुरजी अथवा उनके पुजारी रामचन्द्र जी का नाम अंकितहोने का कोई प्रश्न ही नहीं है और यदि ऐसा कोई अंकन हुआ हो ता वह रेकार्ड पूर्णतया गलत है। क्यो कि आ0नं0 99 जो कि आराजी नं0 97से पीवल होने और आराजी नं0 99 पहले माफी होने से चाह उसी के अनुसार दर्ज हुआ ,माफी समाप्त हो चुकी है और आराजी नं0 99 जिसक नए नम्वर 244 उसमें ठाकुरी अथवा पुजारी का कोई हक होने का प्रश्न नहीं हैं। इन्द्राज दुरूस्ती बाबत वादीगण द्वारा कहने का प्रश्न ही नहीं है ना ही वादीगण का इससे कोई संबंध है। ठाकुर जी की मूर्ति को वैधानिक रूप से अव्यस्क माना है किन्तु उन्हें एक वैधक व्यक्ति (ज्युरिस्टीक पर्सन) माना है जो वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी है और इस वाद में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि ठाकुर जी को जरिये कोई वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है, तथाकथित कमेटी को कोई वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। वाद प्रस्तुत करने के लिए ठाकुर जी अधिकृत है। कथाकथित कमेटी वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नही होकर पंजीकृत ही नहीं है जिससे यह वाद चलने योग्य नहीं है।

यह कि वादग्रस्त आराजी कदीम से हमारी होकर हम पहले खडमदार व बाद में खातेदार के रूप में काविज है और इस भूमि को विक्रय आदि करने का हमे पूरा अधिकार है। ठाकुर जी को कोई क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है क्यो कि ठाकुर जी तो मात्र माफीदार थे जो लगान के हकदार थे जो अब माफी समाप्त हो जाने से लगान की हकदार भूमिधारी राज्य सरकार हो गयी हैं। प्रतिवादी सं0 11 को इस आराजी का इस आराजी को विक्रय करने का कोई ईरादा नहीं है लेकिन यदि विक्रय करना चाहते तो इसमें कोई वैधानिक वाधा नहीं है। भूमि देवस्थान की नही होकर हमारे खातेदारी की हैं।

जवाव के विशेष कथन में अंकित किया है कि वादीगण ने मनगढन्त एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर हमे जलील व परेशान करने की वदनियती से मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो आधारहीन है और वादीगण यह वाद प्रस्तुत करने हेतु किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं है। क्यो कि वादीगण का इससे कोई हक निहित नहीं है। वे इसमें ठाकुरजी का स्थान दे हा हक वताते है जो कि एक वैधानिक व्यक्ति "लीगल पर्सन" होकर स्वयं वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी है और उनकी ओर से कोई वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं तथाकथित प्रवंधक कमेटी के पीछे कोई स्वीकृति अथवा आधार नहीं है और न ही यह सार्वनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ही है जिससे यह वाद हर दृष्टि से चलने योग्य नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

कि वादग्रस्त आराजी नं0 243 चाह नं0 244 जिसके साबिक नम्बर 99 व 97 है वह कदीम से हमारी होकर हमारे कब्जे चली आ रही है और सं0 2009 से 2012 की जमाबन्दी में भी हमारे पूर्वज लखमा मोती पिता बरदा जी धाकड खडमदार के रूप में दर्ज है और ठाकुर जी के स्थान सिर्फ माफीदार के रूप में दर्ज है और बाद मे भी हम बहैसियत खातेदार है और मंदिर ठाकुर जी सिर्फ माफीदार के रूप दर्ज है और हम खातेदार है और मंदिर ठाकुर जी सिर्फ माफीदार के रूप में अंकित रहे है। माफी रिजूम होने के पश्चात ठाकुर जी व पुजारी का नाम गलत रूप से अंकित रह जाने से इन्तकाल नं0 107 जो दिनांक 30.06.71 को फैसल हुआ उसमें स्पष्टरूप से यह अंकित किया है कि माफी रिज्युम होने से ठाकुर जी व पुजारी का नाम हटाये जाने योग्य होने से हटाया गया है। यह कि प्रतिवादी सं0 12 वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही मर चुका है ऐसी अवस्था में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद चलने योगय नहीं है।

यह कि प्रतिवादी सं0 3,4,5,6,7 व 10 अपना हक त्याग चुके है और उनका इस आराजी से कोई संबंधी नहीं है। क्यो कि आराजी प्रतिवादी सं0 11 नंदा के ही रही है जिससे उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार निम्न तनकी प्रकरण में कायम की है:–

1– आया ग्राम हरिपुरा तहसील बेगूँ की आराजी नं0 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं0 11 के नाम से कमी रकबा कर श्री ठाकुर जी मन्दिर स्थान हरिपिुरा के नाम अंकित किए जाने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है? वादीगण

2– आया कि ग्राम हरिपुरा की आ0चाह नं0 244 जो कि कुआ है जिससे आ0नं0 243 पीवल होती है जो शामलाती खाते में ठाकुर जी व अन्य प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसमें पुजारी प्रतिवादी संख्या 12 का नाम अंकित है जिसको जरिये घोषणात्मक डिक्री से हटाये जाने का आदेश प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण

3– आया कि श्री ठाकुर जी नाबालिग है और स्वयं कुछ करने की स्थिती में नही ं है जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा हटा कर श्रीमान तहसीलदार बेगूँ के रिसीवरी में कब्जा दिलाये जाने व वादीगण प्रबन्ध कमेटी को ठाकुर जी की पूजा अर्चना का व देख रेख का भार सिपुर्द कराने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण

4–आया कि वादीगण ने वाद मिथ्या व बदनियती से वाद प्रस्तुत किया है , वादीगण का वाद आधारहीन है और वादीगण यह वाद प्रस्तुत किया है, वादीगण का वाद आधारहीन है और वादीगण यह वाद प्रस्तुत करने हेतु किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं है। क्यो कि वादीगण का कोई हक निहित नहीं है। वाद में ठाकुर जी का स्थान देह का हक बताते है जो कि एक वैधानिक व्यक्ति (लीगल परसन) होकर स्वयं वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी है और उनकी और से कोई वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है, तथाकथित प्रबन्ध कमेटी के पीछे कोई स्वीकृती अथवा आधार नहीं है। न ही सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, वाद वादीगण का चलने योग्य नहीं है?

प्रतिवादीगण

5– आया कि वादग्रस्त आराजी नं0 243 व चाह नं0 244 जिसके साबिक नम्बर 99 एवं 97 है वह कदीम से हमारी होकर हमारे कब्जे चली आ रही है और संवत 2009 से 12 की जमाबंदी में भी हमारे पूर्व लखमा, मोती पिता बरदा जी धाकड खडमदार के रूप में दर्ज है और ठाकुर जी के स्थान पर माफीदार के रूप में दर्ज और बाद में भी हम प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार है और माफी रिज्युम होने के पश्चात ठाकुर जी व पुजारी का नाम गलत रूप से अंकित रह जाने से इन्तकान नं0 107 दिनांक 30.06.71 को फैसल होकर ठाकुर जी व पुजारी का नाम हटाया गया।

प्रतिवादीगण

6– आया कि प्रतिवादी सं0 3,4,5,6,7 व 10 अपना हक त्याग चुकी है और उनका इस आराजी मे कोई संबंध नहीं है क्यो कि आराजी प्रतिवादी सं0 11 नंदा के ही रही है। प्रतिवादी सं0 12 वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही मर चुका है ऐसी अवस्था में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध यह वाद चलने योग्य नहीं है?

प्रतिवादीगण

7– दादरसी ?

दावा पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य शपथ पत्र जो प्रस्तुत किये गये है उनमें वादी देवीलाल पिता लालू जी धाकड ,सूरजमल पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी हरिपुरा ,देवीलाल धाकड पिता परथू जी धाकड निवासी हरिपुरा,उदयराम पिता प्यारा धाकड निवासी हरिपुरा,कूका पिता लक्ष्मण धाकड निवासी हरिपुरा, प्रेम पिता गोपी धाकड,नारायण जयचन्द धाकड,

पन्नालाल पिता नारायण लाल धाकड , शम्भुलाल पिता हीरा जी धाकड के पेश किये गये जिनकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दी गई, अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी उदयराम पिता प्यारा धाकड से उनके साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण कर वादी के बयान कलमबद्ध कराये तथा वादी द्वारा इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श भी कराया गया । इसी प्रकार गवाह कूका पिता लक्ष्मण, सूरजमल पिता भंवरलाल से भी उनके साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण करा बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी देवीलाल पिता मोती धाकड के प्रस्तुत किये है जिनसे अधिवक्ता वादीगण ने प्रतिवादीगण के साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण कर उनके बयान कलमबद्ध कराये गये , प्रतिवादी देवीलाल ने प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। इस प्रकार दावा पत्रावली में वादीगण एवं प्रतिवादी के साक्ष्य पूर्ण की गई, प्रस्तुत सभी साक्ष्य शपथ पत्र व उनसे की गई मुख्य परीक्षण का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त हमारे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 243 जिसके पुराने नम्बर 99 की भूमि मंदिर के नाम दर्ज थी। सेटलमेंट से पहले मंदिर के नाम दर्ज थी, सेटलमेंट के बाद व्यक्तिगत दर्ज हो गई । मंदिर की तरफ से दावा लगाया गया है, आराजी संख्या 244 चाह संख्या 243 से सिंचित होती है। प्रदर्श–2 गलत है, प्रदर्श–6 जमाबंदी इसमें खातेदार मंदिर ठाकुर जी पुजारी नंदा कृषक हैं। नामान्तरण संख्या 107 जो कि प्रदर्श–5 है , प्रदर्श–5 पटवारी ने गलत इन्द्राज किया है किसी रिपोर्ट के आधार पर ,आराजी नम्बर 244 नया , 97 पुराना प्रदर्श–7 कुआ आज भी ठाकुर जी के नाम पर दर्ज है। जमीन वापिस मंदिर के नाम दर्ज होनी चाहिए। मेंरे द्वारा खसरा मिलान प्रस्तुत किया है जिससे नये पुराने नम्बरो का मिलान है। ताम्र पात्र है हरिपुरा में ठाकुरजी के बाल भोग के लिए, भूमि को सेवक छोडकर चला गया , धाकड ने कब्जा कर दिया, अतः भूमि ठाकुर जी के खाते में दर्ज कर कब्जा दिलाया जावें। मेरे द्वारा इस वादपत्र को सिद्ध कराने के लिए जो रूलिंग प्रस्तुत की है उनमें आर आर टी 2014 (1) 482, " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88–188 भूमि माफी भूमि थी और मन्दिर के नाम दर्ज थी– अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद काश्तकारी अधिकारोक का दावा नहीं किया जा सकता और भूमि को देवता द्वारा स्वयं काश्त करने की धारणा की जावेगी– पुजारी जो कि खडमदार के रूप में दर्ज थे ,काश्तकारी अधिकारो का दावा नहीं कर सकते" आर आर डी 1984 पेज 1, आर आर टी 2013(2) 1431, आर आर टी 2013(2) 1400, आर आर टी 2013 (2) 764, आर आर टी 2020 (1) 37, आर आर टी 2018 (एस.सी) आर आर टीह 2019 (1) पेज 436 की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की है। अधिवकता वादीगण ने अपनी बहस निरन्तर करते हुए निवेदन किया कि मैने अपनी बहस में दुरूस्त शब्द का उल्लेख नहीं किया है, मंदिर स्वयं ही प्लेनटीफ है यह बात सही है कि ठाकुर जी का मंदिर गॉव वालो से ही हैं। मंदिरमूर्ती की जमीन है इसको कोई भी आदमी चैलेन्ज कर सकता है, गॉव का हर व्यक्ति दावा ला सकता है। खडमदार की रूलिंग मैं पेश करूगां। मंदिर की भूमि पर खडमदार का कोई अधिकार नहीं है, क्यो पुजारी किसी को अधिकृत कर सकता है। सरपंच ने जॉच करवाकर दर्ज करवा दी जबकि नामान्तरण खोलने का अधिकार नहीं है, एक्ट के उपर सक्लुर नहीं है। माफी 1963 हुई है पर नामान्तरण 1971 का है जिसमें केवल सेवक के कहने से कर दिया , पटवारी को अधिकारी नहीं था या दावा लाना चाहिए था, वादपत्र में चार लोगो ने अपने नाम भूमि नहीं मांगी है जबकि मंदिर की भूमि मंदिर के नाम मांग की है , कमेटी इसलिए बनी है कि चार लोग दावा करेगें। नामान्तरण कैसे खोल सकते है कब्जे के आधार पर नहीं कर सकते है ताम्रपत्र में प्रतिवादी के पक्ष में कुछ भी नहीं है अतः दावा मूर्ति के पक्ष में डिक्री करें।

अधिवकता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जमीन मंदिर के नाम से माफी में मिली है। प्रतिवादी का नाम खडमदार की हैसियत से दर्ज था मेवाड स्टेट से पुजारी को दे रहे, माफी 1.6. 1963 से बंद के बाद व्यक्तिगत को मुआवजा मिल गया सालाना तय कर दिया गया जबकि लैण्ड में कोई हिस्सा नहीं था, खुदकाश्त की नहीं थी ठाकुर जी की, कब्जा मेरा मेवाड स्टेट समय से है मंदिर खुदकाश्त की नहीं है जबकि माफी की है। ताम्रपत्र मेवाड महाराणा ही जारी करते थे , जागीरदार ताम्र पत्र जारी नहीं करते थे, केवल पट्टे जागीरदार देते थे। वादीगण किस आधार पर अधिकारी है किसने इनको एपोइन्ट किया? कोई लिखा पढी नहीं है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1967 सेक्शन 7 मंदिर को पब्लिक ट्रस्ट माना है तथा सेक्शन 17 में रजिस्ट्रर होना चाहिए, देवस्थान विभाग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेक्शन 29 के तहत यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो केस फाईल नहीं कर सकते है, जैसा कि जगन्नाथ व सत्यनारायण के बयानो में स्पष्ट है कि गॉव वालो ने हमे अधिकृत किया है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्टर्ड नहीं है। पटवारी ने गलत नहीं किया है मेरा कब्जा मेवाड स्टेट के टाईम से है, माफी समाप्त 1963 से हो गई आजाद से पहले से ही मै खडमदार हूँ 1991 का सर्क्युलर सभी जमीनों पर लागू नहीं है। सेक्शन 38, 39, 41 मेवाड माल कानून में खडमदार के राईट इन्ट्रेस्ट होगें। बयान पी.डब्ल्यु. 1 में माफी की जमीन माना है खडम भी स्वीकार की गई है, लिखित गॉव वालो की नहीं है, टस्ट्र रजिस्टर्ड नहीं है। खडमदार को ट्रान्सफर की राईट टेनेन्सी में है जब

तक लगान मै अदा करता हूँ . भूमि मेरे खातेदारी की है। माफीदार को कृषक के राईट नहीं है, खातेदार मूर्ति हासिल माफी/ खुदकाश्त नहीं है। माफी पुजनार्थ पुजारी रामचन्द्र, लखमा मोती पिता बरदा सा.देह खडमदार – लगान ठाकुर जी का खडम इनकी यहाँ कल्टीवेटरी राईट मेरा है। मेरे द्वारा रूलिंग आर आर डी 1993, 34 हरीजी बनाम अन्य में भूमि खुदकाश्त का हो तो कृषक माफी समाप्त होने के बाद खातेदार है। रूलिंग आर आर डी 1995 में स्पष्ट किया है कि माफी रिस्यूम होने के बाद खडमदार ही खातेदार होगा। ठाकुर जी मंदिर माफी, हासिल माफ मै खडमदार काश्तकार हूँ इसलिए मेरे राईट खडमदार पुजारी हैं। इस प्रकार भूमि मेरे खातेदारी की भूमि है ठाकुर जी की भूमि नहीं है। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात एवं प्रस्तुत दोनो ही पक्षो की रूलिंग की छायाप्रतियों का अवलोकन किये जाने के पश्चात साथ ही पत्रावली में वादीगण एवं प्रतिवादी के बयानों का गहन अध्ययन किये जाने के उपरान्त तथा प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किये जाने पर इस वादपत्र में कायम की गई तनकी पर निर्णय तनकी अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध कराने हेतु जो दस्तावेज न्यायालय में इस दावा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये है उनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है जिनमें प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा सम्वत 2056 से 59 तक की पेश की है जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 हैक्टर आचा गै.मू. श्री प्यारचन्द्र पिता जीतमल नन्दा पिता लखमा मोती पिता बरदा धाकड सा.देह हि.ब.5/7 माफी मन्दिर स्थान देह पुजारी रामचन्द्र पिता पन्नालाल धाकड हि.2/7 सा. देह खातेदार दर्ज अंकित है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि ना0सं0 481 दिनांक 06.06.2003 से विरासत से खाता प्यारचन्द्र के बजाय मांगीलाल मोहन हीरी प्रतापी फोरी सुगना पिता प्यारचन्द्र श्रृंगारी बेवा प्यारचन्द्र नन्दा पिता लखमा मोती के बजाय देवीलाल मांगीलाल मेडीबाई पिता मोती का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार भूमि के आचा में आराजी सं0 244 में मन्दिर स्थान देह पुजारी रामचन्द्र का नाम हिस्सा 2/7 से दर्ज है, प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा सं0 2056 से 2059 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 29/1, 31, 32/1, 34/1, 46, 50/1, 52, 53, 215/1, 241, 243, 318, 319/1, 320, 323, 386 498मी., 576/1, 799/717 किता–19 रकबा 3.64 हैक्टर भूमि खातेदार नन्दा पिता लखमा धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है, इस जमाबंदी के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि वादपत्र मौजा हरिपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि को लेकर है जो कि ठाकुर जी हरिपुरा की भूमि वादपत्र में बताई गई, इस जमाबंदी में भूमि नन्दा पिता लखमा धाकड के नाम पर दर्ज की हुई है। विचारणीय प्रश्न है कि मौजा हरिपुरा की आराजी सं0 244 आचा. माफी मंदिर स्थान देह पुजारी रामचन्द्र पिता पन्नालाल धाकड हि. 2/7 दर्ज अंकित है। प्रदर्श–3 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग, राजस्थान राज्य की खतौनी की नकल है जो कि मोती पिता बरदा नन्दा पिता लखमा धाकड सा0देह मोती इत्यादि मजकूर के नाम पर दर्ज जिसमें आचा 244 दर्ज है। प्रदर्श– 3 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग का मिलन खसरा की नकल है जिसमें दर्ज आराजी नं. 244 जो कि गै मु. चाह कुआ है जिसके पुराने नम्बर 97 है उक्त आचा में कॉलम सं0 23 व 24 में माफी मदिर सा. देह पूजारी रामचन्द्र पिता पन्ना ब्राम्हण सा.देह खातेदार का नाम लिखा होकर उसे काटा गया है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा सं0 2064 से 67 में दर्ज आराजी सं0 244 रकबा 0.06 आचा भूमि श्री मांगीलाल मोहन पिता प्यारचन्द्र नन्दा पिता लखमा देवीलाल मांगीलाल मोडीबाई पिता मोती धाकड सा0 देह ब0 5/7 माफी मन्दिर स्थान देह पुजारी रामचन्द्र पिता पन्नालाल बामन हि0 2/7 सा0देह खातेदार दर्ज अंकित है। इसके सम्बन्ध मे प्रदर्श– 1 में उपर वर्णनन किया जा चुका है। प्रदर्श– 5 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा सं0 2064 से 67 की है जिसमे दर्ज आराजी संख्या 31, 46, 52, 53, 241, 243, 318, 320, 323, 799/717मी., 885/785, 1056/29, 1057/32, 1058/34, 1059/50, 1062/215, 1063/319, 1064/386, 1068/576 कीता–19 कुल रकबा 4.2000 हैक्टर भूमि श्री नन्दा पिता लखमा धाकड के नाम पर दर्ज है इस जमाबंदी में आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि अंकित है इस सम्बनध मे प्रदर्श– 2 में उपर वर्णन किया गया है। दावा पत्रावली में प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा सं0 2015 से 2018 क जमाबंदी है जिसमें गत आराजी संख्या 99 रकबा 2 बीघा भूमि माफी पूजनार्थ मंदिर श्री ठाकुर जी साकिन देह पुजारी श्री रामचन्द्र पिता पन्नालाल सेवक सा0देह का नराम अंकित है, तथा कॉलम सं0 5 नाम कृषक में श्री नन्दा वल्द लखमा मोती पिता बरदा धाकड का नाम अंकित किया हुआ है। इस दस्तावेज में कृषक के रूप में दर्ज श्री नंदा वल्द लखमा व मोती पिता बरदा धाकड खडमदार दर्ज नहीं है। यह गत आराजी संख्या 99 जिसके नवीन आराजी नं0 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि मंदिर की भूमि है। प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा की सं0 2015 से 2018 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज गत आराजी संख्या 97 आचा रकबा 5 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान देह 5/7 खातेदार में

दर्ज है जबकि कॉलम संख्या 5 नाम कृपक में श्री जीतमल पिता भारमल लखमा मोती पिता बरदा धाकड़ सा. देह खडमदार 5/7 रामचन्द्र वल्द पन्ना सेवक सा0देह पुजारी 2/7 दर्ज अंति है। यहाँ यह स्पष्ट है कि गत नम्बर 97 चाह में श्री जीतमल पिता भारमल लखमा मोती पिता बरदा धाकड सा.देह का हिस्सा 5/7 बहैसियत खडमदार दर्ज अंकित है। प्रदर्श–8 नकल भू–प्रबन्धक (सेटलमेन्ट) विभाग मिलान खसरा की है जिसमें गत नम्बर आराजी नं0 99 के नवीन आराजी संख्या 243 बने है तथा यह भूमि कॉलम नं0 23 में ठाकुर जी स्थान दे हके नाम पर दर्ज होकर पुजारी का नाम दर्ज है। प्रदर्श–9 भी नकल मिलान खसरा सेटलमेन्ट की है। प्रदर्श–10 नक्शा किश्तवार मौजा हरिपुरा का है। पत्रावली में एक दस्तावेज नकल नामान्तरण संख्या 107 का प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रदर्श–5 है। इस इन्तकाल का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया यह इन्तकाल कब्जे के आधार पर खोला गया है, जो कि मौजा हरीपुरा की गत आराजी संख्या 99 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो कि श्री मंदिर ठाकुर जी स्थान देह पुजारी रामचन्द्र सेवक खातेदार के नाम पर दर्ज थी जो कि श्री नंदा पिता लखमा मोती पिता बरदा धाकड के नाम पर दर्ज की गई है। इस इन्तकाल पर रिपोर्ट पटवारी द्वारा की गई है कि महोदय जी श्री रामचन्द्र सेवक ने दरख्वास्त की है कि आराजी नं0 99 रकबा 0 बीघा 2 बिस्वा लगानी 15 रूपये पर मेरा कोई कब्जा नहीं रहा है। कब्जा केवल नंदा पिता लखमा मोती पिता बरदा धाकड का है अतः इनका नाम रखा जावें। मेरा नाम खारीज फरमाया जावें । दरख्वास्त रामचन्द्र इंतकाल पर चस्पा है। अतः उचित आदेशार्थ सेवामें प्रेषित है। इस इन्तकाल को दिनांक 6.6.1971 को यह अंकन किया है कि जमाबंदी सं0 2023 देखी गई नंदा पिता लखमा मोती पिता बरदा खातेदार दर्ज है। जमाबंदी में जब कि ठाकुर जी माफी रिज्युम हो चुकी ऐसी सूरत में ठाकुर जी का नाम व पुजारी का नाम नहीं आना चाहिए। यह इन्तकाल सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा यह आदेश के साथ स्वीकृत किया है कि इन्तकाल कोरम में पेश हुआ। इन्द्राज दुरूस्त है, अब इन्द्राज के अनुसार श्री रामचन्द्र के बजाय श्री नंदा पिता लखमा मोती पिता बरदा धाकड सा0 देह खातेदार के नाम पर रद्दोबदल करने की स्वीकृती दी जाती हैं। प्रदर्श–3 ए छायाप्रति ताम्रपात्र की है,। पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श–6(1) नकल महकमे बंदोबस्त मेवाड सेटलमेन्ट 1923 ग्राम हरिपुरा की प्रस्तुत की है जिसमें गत आराजी नं. 99 माफी रकबा 2 बीघा 2बिस्वा भूमि जो कि चाह नं0 97 से पीवल होने का अंकन होकर कॉलम नं0 14 में लखमा, मोती धाकड बशरत माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान देह (हांसिल)लखमा मोती पिता बरदा सा.देह हिस्सा बराबर खडमदार अंकित किया होकर रामचन्द्र वल्द पन्नालाल सेवक पुजारी का नाम कॉलम 15 में दर्ज है।

इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से हमने यह पाया है कि वाद वर्णित आराजी मौजा हरिपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि जिसके पुराने नम्बर 99 थे यह आराजी श्री ठाकुर जी स्थान देह के नाम पर ही थी, नकल जमाबंदी सं0 2023 से 2026 तक में गत आराजी संख्या 99 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री मंदिर ठाकुर जी स्थान देह पुजारी श्री रामचन्द्र पिता सेवालाल सेवक सा0देह खातेदार यहाँ खातेदार शब्द काटा गया है तथा श्री नंदा पिता लखमा मोती पिता बरदा धाकड सा0देह को खातेदार दर्ज बताया है। जबकि प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सं0 2015 से 18 में गत आराजी संख्या 99 रकबा 2 बीघा 2बिस्वा भूमि जो कि माफी पूजनार्थ मंदिर श्री ठाकुर जी स्थान देह पुजारी श्री रामचन्द्र पिता पन्नालाल सेवक सा.देह के नाम पर होकर कृषक नंदा वल्दा लखमा मोती पिता बरदा धाकड हि0ब0 लिखा हुआ है, यानि भूमि वास्तविकता में मंदिर की भूमि है तथा प्रतिवादी काश्तकार की हैसियत से इस मंदिर भूमि पर काश्त कर रहे थे, एक अन्य दस्तावेज में इस आराजी को सिंचित करने वाले आराजी चाह गत नम्बर 97रकबा 5 बिस्वा जो कि प्रदर्श–7 में अंकन है उसमें प्रतिवादी बहैसियत काश्तकार खडमदार कॉलम संख्या 5 में दर्ज किये हुए है जबकि भूमि में हिस्सा 2/7 मंदिर का है। इस खडमदार शब्द का इस्तेमाल कर भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा अपने खातेदारी की बताया जा रहा है जबकि वास्तविकता में इस दावा में प्रस्तुत एक नामान्तरण संख्या 107 की नकल जो कि प्रदर्श–5 है में पटवारी रिपोर्ट की है कि पुजारी रामचन्द्र ने एक दरख्वास्त पेश की है कि अब मंदिर की भूमि पर कब्जा मेरा नहीं रहा है कब्जा नंदा पिता लखमा व मोती पिता बरदा का है अतः भूमि उनके नाम दर्ज की जावें। इस दरख्वास्त को सही मानते हुए मंदिर की भूमि को नंदा पिता लखमा मोती पिता बरदा को खातेदार बना दिया है। जबकि मंदिर भी इस भूमि के खातेदार है जिनकी खातेदारी को एक पुजारी की दरख्वास्त के आधार पर निरस्त कर अन्य काश्तकार के नाम पर किस अधिकारी के आदेश दर्ज किया है, मात्र कब्जे को ही आधार बताते हुए मंदिर की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर सरपंच द्वारा उसे प्रमाणित भी कर दिया गया है जो कि अधिकार से परे की गई प्रवृष्टि है। यह इन्तकाल अपने आप में निरस्त योग्य है। इस दावा पत्रावली में प्रदर्श–6 (1) जो कि महकमे बंदोबस्त मेवाड उदयपुर की खतौनी है उसमें गत आराजी संख्या 99 माफी दर्ज करते हुए कॉलम नं0 14 में लखमा, मोती धाकड बशरत माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान देह (हांसिल)लखमा मोती पिता बरदा सा.देह हिस्सा बराबर खडमदार अंकित किया होकर रामचन्द्र वल्द पन्नालाल सेवक पुजारी का नाम कॉलम 15 में दर्ज है। यहाँ खडम पैदा करने का अधिकार लखमा मोती पिता बरदा सा.देह को दिया गया है किन्तु भूमि ठाकुर जी की ही है क्यो कि महाराणा मेवाड द्वारा मंदिर ठाकुर जी स्थान देह के नाम पर जो

ताम्र पात्र जारी किया है उससे किसी भी अन्य काश्तकार को मंदिर की भूमि में अपने नाम खातेदारी करा पाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्यो कि लखमा मोती पिता बरदा वशरत माफी मंदिर दर्ज होकर खडम पैदा करने वाले अंकित है। जहॉ तक दावा प्रस्तुत कमेटी द्वारा किये जाने का प्रश्न है उसमें श्री मंदिर मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा सार्वजनिक मंदिर ग्राम हरिपुरा की ओर से जरिये वादीगण द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया है, यहॉ वादीगण अपने नाम पर भूमि नहीं चाह कर मंदिर मूर्ति के नाम पर ही घोषित करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में यह दावा मंदिर ठाकुर जी की ओर से ही प्रस्तुत माना जाना हम न्यायसंगत समझते है। वाद वर्णित भूमि मौजा हरिपुरा की आराजी संख्या243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि मंदिर ठाकुर जी श्री चारभुजा सार्वजनिक मंदिर ग्राम हरिपुरा के नाम पर घोषित करा पाने के वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर पाये जाते है। तनकी नं0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। ग्राम हरिपुरा की आ0चाह0 नं0 244 जो कि कुआ है जिससे आराजी नं0 243 पीवल होती है यह भूमि तनकी नं0 1 में वर्णित सभी दस्तावेज के अवलोकन से मुख्यतः प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा सम्वत 2056 से 59 तक की पेश की है जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 हैक्टर आचा गै.मू. श्री प्यारचन्द्र पिता जीतमल नन्दा पिता लखमा मोती पिता बरदा धाकड सा.देह हि.ब.5/7 माफी मन्दिर स्थान देह पुजारी रामचन्द्र पिता पन्नालाल धाकड हि.2/7 सा. देह खातेदार दर्ज अंकित है साथ ही प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा की सं0 2015 से 2018 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज गत आराजी संख्या 97 आचाह रकबा 5 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर री ठाकुर जी स्थान देह 5/7 खातेदार में दर्ज है जबकि कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में श्री जीतमल पिता भारमल लखमा मोती पिता बरदा धाकउ सा.देह खडमदार 5/7 रामचन्द्र वल्द पन्ना सेवक सा0देह पुजारी 2/7 दर्ज अंति है। यहॉ यह स्पष्ट है कि गत नम्बर 97 चाह में श्री जीतमल पिता भारमल लखमा मोती पिता बरदा धाकड सा.देह का हिस्सा 5/7 बहैसियत खडमदार दर्ज अंकित है। इस प्रकार यह विचारणीय है कि मंदिर की भूमि जो कि आराजी संख्या 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि जो कि आराजी संख्या 243 से गत नम्बर 97 से पीवल होती है उसमें अन्य खातेदारान को पिलाई का हिस्सा 5/7 किस आधार पर दर्ज कर दिया गया है, जबकि भूमि मंदिर श्री ठाकुर जी मंदिर स्थान हरिपुरा के नाम अंकित है। इस प्रकार वादीगण आचा से प्रतिवादी का नाम जरिये घोषणा हटा पाने के अधिकारी पाये जाते है। तनकी नं0 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3– तनकी नं0 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी वादीगण का है, यह बात सही है श्री ठाकुर जी नाबालिग है और स्वयं कुछ करने की स्थिती में नहीं है, जैसा कि तनकी नं0 1 के निर्णय अनुसार वाद वर्णित भूमि मौजा हरिपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी का नाम हटा कर भूमि श्री ठाकुर जी मन्दिर स्थान हरपिुरा के नाम अंकित किए जाने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी पाये गये है, इसलिए अब भूमि पर तहसीलदार बेगूँ को रिसीवरी में कब्जा दिये जाने के बजाय सीधे ही प्रतिवादीगण का कब्जा भूमि से हटाते हुए मंदिर भूमि की कमेटी को सिपुर्द कराने हेतु तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित करना हम न्यायसंगत समझते है, जहॉ तक पूजा अर्चना का व देख रेख का भार सिपुर्द कराने का प्रश्न है इस सम्बन्ध मे ग्रामीणो द्वारा गठित कमेटी नियमानुसार कमेटी का पंजीकरण कराते हुए मन्दिर की पूजा अर्चना व देख रेख स्वयं करें। इस प्रकार तनकी नं0 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

4– तनकी नं0 4 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है। तनकी नं0 1 के विस्तृत निर्णय जो सभी दस्तावेज के गहन अवलोकन किये जाने के पश्चात वादीगण यानि मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान हरिपुरा के पक्ष में वाद वर्णित आराजी मौजा हरिपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हटाते हुए भूमि मंदिर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है, जहॉ तक वादीगण ने वाद मिथ्या व बदनियती से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि यह भूमि केवल ठाकुर जी के ही नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावेगी यहॉ किसी भी वादीगण के नाम इस आराजी में नहीं लग रहे है, वादीगण की बदनियती तो तब सिद्ध होती है जब वह इस भूमि में वादीगण अपना नाम लगवाने हेतु वादपत्र लाते। श्री ठाकुर जी मन्दिर स्थान हरिपुरा के मंदिर भूमि आराजी संख्या 243 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा दिया था जिससे मंदिर के बाल भोग व अन्य खर्च हेतु भूमि से होने वाली आय बाधित होने से समस्त ग्राम वासियान द्वारा मंदिर की भूमि को

मंदिर के पक्ष में कराने हेतु एक गॉव की कमेठी का गठन सभी की सहमति से किया गया है, हॉ यह बात सही है इस कमेटी ने कोई पंजीकरण नियमो की जानकारी नहीं होने के अभाव में नहीं करवाया है, लेकिन जैसा कि तनकी नं0 1 में निर्णित किया है कि यह वादपत्र मंदिर की ओर से ही माना जावेगा, इस प्रकार मंदिर भूमि को मंदिर के नाम पुनः राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने की मंशा वादीगण (गठित कमेटी) की मिथ्या व बदनियती पूर्ण नहीं हो सकती है ना ही यह वाद पत्र आधारहीन है, न्यायालय द्वारा ठाकुर जी को ही एक वैधानिक व्यक्ति (लीगल परसन) मानते हुए दावा मंदिर के पक्ष में भूमि दर्ज किये जाने की घोषणा हेतु तनकी नं0 1 में स्वीकार किया है, साथ ही तनकी नं0 3 में न्यायालय द्वारा प्रबन्धक कमेटी को नियमानुसार कमेटी का पंजीयन कराने हेतु निर्देशित भी कर दिया गया है। इस प्रकार तनकी नं0 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

5– तनकी नं0 5 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नं0 243 जिसे साबिक नम्बर 99 एवं 97 है वह कदीम से हमारी होकर हमारे कब्जे चली आ रही है और संवत 2009 से 12 की जमाबंदी में भी हमारे पूर्व लखमा मोती पिता बरदा धाकड खडमदार के रूप में दर्ज है और ठाकुर जी के स्थान सिर्फ माफीदार के रूप में दर्ज और बाद में भी हम प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार है और माफी रिज्युम होने के पश्चात ठाकुरजी व पुजारी का नाम गलत रूप से अंकित रह जाने से इन्तकाल नं0 107 दिनांक 30.6.71 को फैसल होकर ठाकुर जी व पुजारी का नाम हटाया गया है, इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजो का गहन अवलोकन करते हुए तनकी नं0 1 के अपना विस्तृत निर्णय दिया है, जहॉ तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रश्न है उनके द्वारा प्रस्तुत महकमे बंदोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर मेवाड सेटलमेन्ट 1923 ग्राम हरिपुरा की गत आराजी संख्या 99 माफी रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा भूमि बीड व चा0नं0 97 में कॉलम संख्या में अंकित लखमा मोती धाकड बशरतन माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान देह (हांसिल) लखमा मोती पिता बरदा धाकड साकिन देह हि.ब. खडमदार कॉलम नं0 14 में दर्ज है यह दस्तावेज प्रदर्श 6(1) है तथा इसके कॉलम संख्या 15 में ही रामचन्द्र वल्द पन्ना लाल सेवक सा0देह पुजारी का नाम अंकित है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रूलिंग आर आर डी 1995 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया , इस रूलिंग में खडमदार की श्रेणी खातेदार से भी प्रथम श्रेणी बताई हुई है , जबकि मेवाड महकमें खडमदार शब्द केवल फसल उत्पन्न करने वाला ही होता है, दस्तावेज में अंकन स्पष्ट है " लखमा मोती धाकड बशरतन माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान देह (हांसिल) लखमा मोती पिता बरदा धाकड साकिन देह हि.ब. खडमदार" हैं। साथ ही मंदिर की भूमि हेतु ताम्रपात्र जारी किया गया है, अधिवक्ता प्रतिवादीगण का अपनी बहस में कथन है कि ताम्रपात्र जारी करने का अधिकार केवल महाराणा को ही था, तो इस जारी ताम्रपात्र को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रतिवादीगण द्वारा क्यो नहीं की गई। यहॉ हम स्पष्ट करना उचित होगा कि मूर्ति ठाकुर जी नाबालिग है तथा यह बात भी सत्य ही वह कृषि कार्य भी नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिती में खडम पैदा करने वाले (कृषि कार्य करने वाले) उक्त दस्तावेज में बशरतन लखमा मोती धाकड को नियुक्त किया है, जो कि ठाकुर जी की भूमि पर कृषि कार्य करते हुए उससे प्राप्त आय से मंदिर के रख रखाव व बाल भोग आदि में खर्च करेगें। प्रतिवादीगण महज कब्जे के आधार पर खातेदार दर्ज किये गये, जैसा कि इन्तकाल नं0 107 दिनांक 30.06.71 से स्पष्ट है कि मंदिर के सेवक रामचन्द्र का भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, कब्जा केवल लेखमा मोती पिता बरदा का रहा है, इसलिए इनके नाम पर नामान्तरण खोला गया है, यह पूर्णतया गलत इन्तकाल खोला गया, इसके आदेश से मंदिर का नाम हटाते हुए कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम रखा गया है, ऐसा कोई प्रभावी आदेश नहीं है, इन्तकाल सं0 107 पर पटवारी की रिपोर्ट में अंकित है कि रामचन्द्र ने दरख्वास्त प्रस्तुत की है, यानि पुजारी यदि कोई भी मंदिर के नाम से मंदिर का नाम हटाने की दरख्वास्त देगा तो उसका नाम हटा दिया जाकर केवल कृषि कार्य करने वालो का नाम इन्तकाल खोल दिया जावेगा? जैसा कि इन्तकाल में अंकित किया है कि माफी रिज्युम होने से ठाकुर जी व पुजारी का नाम नहीं आना चाहिए , यह आदेश किसने दिया स्पष्ट अंकित नहीं है। साथ ही माफी रिज्युम होने पर मंदिर व पुजारी के नाम हटा दिये जावे ऐसा कोई राज्य सरकार का आदेश या सक्युर्लर भी इस इन्तकाल पर चस्पा किया हुआ नहीं है।

इन सभी तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वाद वर्णित भूमि केवल मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थान देह की भूमि थी तथा प्रतिवादी लखमा मोती पिता बरदा धाकड केवल मंदिर भूमि पर काश्त करने वाले कृषक थे, जिन्होने अपने पक्ष में भूमि दर्ज कराने का इन्तकाल जो खुलवाया वह पूर्णतया गलत खुलवाया गया है। जैसा कि तनकी नं0 1 में निर्णित किया है कि वाद वर्णित भूमि मंदिर ठाकुर जी के नाम घोषित करा पाने के वादीगण अधिकारी पाये गये है, इस प्रकार तनकी नं0 5 को सिद्ध करा पाने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। तनकी नं0 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

6– तनकी नं0 6 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6, 7 व 10 अपना हकत्याग चुकी है और उनका इस आराजी में कोई संबंध नहीं है क्यो कि आराजी प्रतिवादी सं0 11 नंदा के ही रही है।हालॉकि इस दावा पत्रावली मे प्रवितवादीगण द्वारा हकत्याग सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमावंदी प्रदर्श–1 व प्रदर्श– 2 के अवलोकन से पाया कि आ0चाह 244 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि में व आराजी संख्या 243 रकवा 0.45 हैक्टर भूमि में श्री नन्दा पिता लखमा धाकड का नाम अंकित है। जहॉ तक प्रतिवादी सं0 12 मृतक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध मे वादीगण द्वारा न्यायालय से वाद संशोधन प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृती ली जाकर संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया है,तथा इस संशोधित वाद के संशोधित टाईटल में प्रतिवादी सं0 6 रामचन्द्र पिता पन्नालाल का नाम फोत होने से पहले से ही नाम डिलिट किया जाने का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम सभी तनकी दस्तावेजी साक्ष्य सवूत के आधार पर एवं प्रस्तुत सभी न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर ठाकुर जी मंन्दिर ग्राम हरिपुरा के पक्ष में सिद्ध होने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88, 163 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 हैक्टर आराजी चाह की भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर मंन्दिर मूर्ती ठाकुर जी श्री चारभुजा जी सार्वजनिक मन्दिर ग्राम हरिपुरा के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बेगूॅ को निर्देशित किया जाता है कि आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 आ0चाह भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुए कब्जा श्री मन्दिर मूर्ती ठाकुर जी श्री चारभुजा जी के प्रबन्ध समिति मंदिर ठाकुर जी चारभुजा जी के प्रतिनिधी वादीगण को सिपुर्द करें।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायककलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 45/2006

श्री मन्दिर मूर्ती ठाकूर जी श्री चारभूजा जी सार्वजनिक मन्दिर ग्राम हरिपुरा तह0 बेगूँ जरिये वाद प्रतिनिधि:–

1. देवीलाल पिता परथू जी जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
2. सूरजमल पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
   (पूर्व में नाम डिलिट)
3. उदयराम पिता प्यारा जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
4. देवीलाल पिता लालू जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
   (पूर्व में नाम डिलिट) वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता प्यारचन्द जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय:–
   1/1– भोलीबाई पति स्व. मांगीलाल जाति धाकड नि0 हरिपुरा तह0 बेगूँ (पत्नी)
   1/2– बालकिशन पिता स्व. मांगीलाल जाति धाकड नि0 हरिपुरा तह0 बेगूँ(पुत्र)
2. मोहनलाल पिता प्यारचंद जी जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहज0 बेगूँ
3. देबीलाल पिता मोतीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय :–
   3/1– उँकार पिता स्व. देबीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   3/2– राधेश्याम पिता स्व. देबीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   3/3– प्रेम पुत्री स्व. देबीलाल धाकड पत्नी शंभूलाल धाकड नि0 मेघपुरा तह0 बेगूँ
   3/4– सीता पुत्री स्व.देबीलाल धाकड पत्नी राधेश्याम धाकड निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूँ
   3/5– जेती पत्नी स्व. देबीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
4. मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय :–
   4/1– सागर पिता स्व. मांगीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/2– गोपाल पिता स्व. मांगीलाल धाकउ निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/3– रामचन्द्र पिता स्व. मांगीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/4– सुगना पुत्री स्व. मांगीलाल धाकड पत्नी शांतिलाल धाकड निवासी नाल तह0 बेगूँ
   4/5– मन्जु पुत्री स्व. मांगीलाल धाकड पत्नी नानालाल धाकड निवासी कदवास तह0 सिंगोली जिला नीमच म.प्र.
   5/1– नानालाल पिता नन्दा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   5/2– कुकालाल पिता नन्दा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
6– रामचन्द्र पिता पन्नालाल ब्राम्हण निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ (फोत पहले से नाम डिलिट)
7– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
8– भूरालाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती में वाद अ.धा .88–163 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादी का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88, 163 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 हैक्टर आराजी चाह की भूमि प्रतिवादीगण के खाते हटाई जाकर मन्दिर मूर्ती ठाकुर जी श्री चारभुजा जी सार्वजनिक मन्दिर ग्राम हरिपुरा के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 आ0चाह भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुए कब्जा श्री मन्दिर मूर्ती ठाकुर जी श्री चारभुजा जी के प्रबन्ध समिति मंदिर ठाकुर जी चारभुजा जी के प्रतिनिधी वादीगण को सिपुर्द करें।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

दावा संख्या 45/2006 व अनवान देवीलाल प्रबन्धक कमेटी ठाकुर जी मन्दिर ग्राम हरिपुरा बनाम मांगीलाल वगै वाद अ. धा. 88–163 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 45/2006

श्री मन्दिर मूर्ती ठाकूर जी श्री चारभूजा जी सार्वजनिक मन्दिर गग्राम हरिपुरा तह0 बेगूँ जरिये वाद प्रतिनिधिः–

1. देवीलाल पिता परथू जी जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
2. सूरजमल पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
   (पूर्व में नाम डिलिट)
3. उदयराम पिता प्यारा जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
4. देवीलाल पिता लालू जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
   (पूर्व में नाम डिलिट) वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता प्यारचन्द जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजायः–
   1/1– भोलीबाई पति स्व. मांगीलाल जाति धाकड नि0 हरिपुरा तह0 बेगूँ (पत्नी)
   1/2– बालकिशन पिता स्व. मांगीलाल जाति धाकड नि0 हरिपुरा तह0 बेगूँ(पुत्र)
2. मोहनलाल पिता प्यारचंद जी जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहज0 बेगूँ
3. देवीलाल पिता मोतीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय :–
   3/1– उँकार पिता स्व. देवीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   3/2– राधेश्याम पिता स्व. देवीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   3/3– प्रेम पुत्री स्व. देवीलाल धाकड पत्नी शंभूलाल धाकड नि0 मेघपुरा तह0 बेगूँ
   3/4– सीता पुत्री स्व.देवीलाल धाकड पत्नी राधेश्याम धाकड निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूँ
   3/5– जेती पत्नी स्व. देवीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
4. मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ मृतक के बजाय :–
   4/1– सागर पिता स्व. मांगीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/2– गोपाल पिता स्व. मांगीलाल धाकउ निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/3– रामचन्द्र पिता स्व. मांगीलाल धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   4/4– सुगना पुत्री स्व. मांगीलाल धाकड पत्नी शांतिलाल धाकड निवासी नाल तह0 बेगूँ
   4/5– मन्जु पुत्री स्व. मांगीलाल धाकड पत्नी नानालाल धाकड निवासी कदवास तह0 सिंगोली जिला नीमच म.प्र.
   5/1– नानालाल पिता नन्दा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
   5/2– कुकालाल पिता नन्दा धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
6– रामचन्द्र पिता पन्नालाल ब्राम्हण निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ (फोत पहले से नाम डिलिट)
7– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
8– भूरालाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती में वाद अ.धा .88–163 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादी का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता हैः–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88, 163 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 हैक्टर आराजी चाह की भूमि प्रतिवादीगण के खाते हटाई जाकर मंन्दिर मूर्ती ठाकुर जी श्री चारभुजा जी सार्वजनिक मन्दिर ग्राम हरिपुरा के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि आराजी संख्या 243 रकबा 0.4500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 244 रकबा 0.06 आ0चाह भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुए कब्जा श्री मन्दिर मूर्ती ठाकुर जी श्री चारभुजा जी के प्रबन्ध समिति मंदिर ठाकुर जी चारभुजा जी के प्रतिनिधी वादीगण को सिपुर्द करें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/
दावा संख्या 45/2006 व अनवान देवीलाल प्रबन्धक कमेटी ठाकुर जी मन्दिर ग्राम हरिपुरा बनाम मांगीलाल वगै वाद अ. धा. 88–163 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़